

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार

खण्ड - I

1. लघु उद्यम

माइक्रो , लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006

भारत सरकार ने दिनांक 16 जून 2006 को माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 बनाया है जिसे 2 अक्टूबर 2008 को अधिसूचित किया गया। एमएसएमइडी अधिनियम, 2006 लागू हो जाने से जो आमूल-चूल परिवर्तन आया है वह है मध्यम उद्यमों को अवसर प्रदान करने के अलावा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा में सेवा क्षेत्र को शामिल करना है। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 ने विनिर्माण या उत्पादन तथा सेवाएं उपलब्ध या प्रदान करने में लगे माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा आशोधित की है। रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को परिवर्तन के बारे में सूचित कर दिया है। साथ ही, अधिनियम में दी गई परिभाषा को, रिजर्व बैंक के दिनांक 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 63/06.02.31/2006-07 के अनुसार बैंक ऋण के प्रयोजनों के लिए अपनाया गया है।

1. माइक्रो , लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा

(क) वस्तुओं के विनिर्माण, प्रसंस्करण या परिरक्षण के कार्य में लगे उद्यम जो निम्नानुसार हैं :

- i) माइक्रो उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनों में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक न हो;
- ii) लघु उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनों में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो ; तथा
- iii) मध्यम उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनों में निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

उपर्युक्त उद्यमों के मामले में, संयंत्र और मशीनों में निवेश ही मूल लागत है जिसमें भूमि और भवन तथा लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2006 की अधिसूचना सं. एसओ.1722 (इ) में निर्दिष्ट मद शामिल नहीं हैं (अनुबंध 1) ।

(ख) सेवाएं उपलब्ध कराने अथवा देने में लगे उद्यम एवं उपस्कर में उनका निवेश (भूमि और भवन तथा फर्नीचर, फिटिंग्स और ऐसी अन्य मदें जो दी गई सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं अथवा एमएसएमइडी अधिनियम, 2006 में अधिसूचित की गई मदों को छोड़कर मूल लागत) नीचे निर्दिष्ट किया गया है।

- (i) माइक्रो उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरण में निवेश 10 लाख रूपए से अधिक न हो ;
- (ii) छोटा उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरण में निवेश 10 लाख रूपए से अधिक लेकिन 2 करोड़ रूपए से अधिक न हो; और
- (iii) मध्यम उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरण में निवेश 2 करोड़ रूपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रूपए से अधिक न हो।

इनमें शामिल होंगे - छोटे सड़क और जल मार्ग परिवहन परिचालक, छोटे कारोबार, व्यावसायी एवं स्वनियोजित व्यक्ति तथा सभी अन्य सेवा उद्यमों।

मध्यम उद्यमों को दिए गए बैंक ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

1.1 खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र (केवीआइ)

परिचालनों के आकार, अवस्थिति तथा संयंत्र और मशीनरी में मूल निवेश की राशि पर ध्यान दिए बगैर खादी-ग्राम उद्योग क्षेत्र की ईकाइयों को प्रदान सभी अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम के अंतर्गत शामिल रहेंगे तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग हेतु नियत उप-लक्ष्य (60 प्रतिशत) के अधीन विचार करने के लिए पात्र होंगे।

1.2 अप्रत्यक्ष वित्त

1.2.1 ऐसे व्यक्ति जो कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की आपूर्ति तथा उनके उत्पादनों

के विपणन के कार्य में विकेंद्रित क्षेत्र की सहायता कर रहे हों।

1.2.2 विकेंद्रित क्षेत्र में उत्पादकों के को-ऑपरेटिव अर्थात् कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को अग्रिम।

1.2.3 केवल गैर-कृषि क्षेत्र के वित्तपोषण के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा जारी विशेष बांडों में बैंकों द्वारा 31

मार्च 2007 तक किए गए निवेशों को, ऐसे बांडों की परिपक्वता तारीख तक या 31 मार्च 2010 तक, जो भी पहले हो, लघु उद्यम क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तथापि, 31 मार्च 2007 के बाद ऐसे विशेष बांडों में किए गए निवेश ऐसे वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे।

- 1.2.4 विदेशी बैंकों जिनके कार्यालय भारत में स्थित हैं, द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण सिडबी में रखी जमाराशियां, जो 30 अप्रैल 2007 तक बकाया थीं अपनी परिपक्वता तारीख तक या 31 मार्च 2010, जो भी पहले हो, लघु उद्यम को अप्रत्यक्ष ऋण के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र होंगी। तथापि, बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण 30 अप्रैल 2007 को या उसके बाद सिडबी में रखी नई जमाराशियां, लघु उद्यम क्षेत्र को अप्रत्यक्ष ऋण के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र नहीं होंगी।
- 1.2.5 लघु और व्यष्टि उद्यमों (विनिर्माण तथा सेवा) को आगे उधार देने के लिए एनबीएफसी को बैंकों द्वारा प्रदान ऋण।

खंड - II

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत पात्र कतिपय निधि-नियोजन

1. निवेश

1.1 प्रतिभूतियुक्त आस्तियां

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के विभिन्न वर्गों को दिए गए ऋण के रूप में बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में किया गया निवेश संदर्भित आस्तियों के आधार पर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्ग में वर्गीकृत किए जाने का पात्र होगा बशर्ते प्रतिभूतिकृत आस्तियां बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित की गई हों तथा प्रतिभूतिकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करती हों। इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिभूतिकृत आस्तियों के उक्त वर्गों में बैंक का निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंध में बैंक का निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्गों में वर्गीकरण के लिए तभी पात्र होगा जब प्रतिभूतिकृत अग्रिम उनके प्रतिभूतिकरण से पहले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र रहा हो।

1.2 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र किसी ऋण आस्ति की एकमुश्त खरीद प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के संबंधित वर्गों में वर्गीकरण के लिए पात्र होगी बशर्ते, खरीदे गए ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र हों; ऋण आस्तियां विक्रेता के सहारे बिना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से (पूरी सावधानी से और उचित मूल्य पर) खरीदी गई हो; और पात्र ऋण आस्तियां, चुकौती के अलावा, खरीद की तारीख से छः माह की अवधि के अंदर निपटाई न गई हों।

1.3 अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आइबीपीसी) में जोखिम में हिस्सेदारी के आधार पर बैंकों द्वारा

किया गया निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्गों में वर्गीकरण के लिए पात्र होगा बशर्ते संदर्भित

आस्तियां प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्गों में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र हों और निवेश की

तारीख से कम से कम 180 दिवस के लिए धारित की गई हों।

2. लघु उद्यम वित्तीय केन्द्रों की (एसइएफसी) योजना :

वार्षिक नीति वक्तव्य 2005-06 में गवर्नर महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बैंकों की शाखाओं तथा "लघु उद्यम वित्तीय केन्द्र" के नाम से समूह में स्थित सिडबी के बीच प्रणालीगत गठबंधन के लिए एक योजना तैयार की गई। यह योजना लघु उद्योग एवं बैंकिंग प्रभाग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, भारतीय बैंक संघ तथा चुनिंदा बैंकों के परामर्श से तैयार की गई तथा दिनांक 20 मई 2005 को कार्यान्वयन हेतु सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को परिचालित की गई। प्रारंभ में सिडबी ने ऐसे 149 केन्द्र शुरू करने का निर्णय लिया था। सिडबी ने अब तक 16 बैंकों (बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, आंध्रा बैंक, इंडियन बैंक, कार्पोरेशन बैंक, आइडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र तथा फेडरल बैंक) के साथ सहमति ज्ञापन शुरू किया है। वर्तमान सिडबी शाखाओं द्वारा कवर किये गये माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम समूहों की सूची **अनुबंध II** में प्रस्तुत है।

खंड III

घरेलू वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार का लक्ष्य

1. घरेलू वाणिज्य बैंकों के लिए निर्धारित लक्ष्य

- 1.1 घरेलू वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को देय ऋणों का दायरा बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित करें कि समायोजित निवल बैंक ऋण का न्यूनतम 40% तथा (60% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए) या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो का हिस्सा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (जिसमें लघु उद्यम क्षेत्र सम्मिलित है) के रूप में हो। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का लक्ष्य उनके बकाया अग्रिमों का 60% होगा।
- 1.2 हालांकि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण में वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित पॉलिसी पैकेज के अनुसार लघु उद्यम क्षेत्र को उधार के लिए कोई उप-लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, बैंक माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को अग्रिमों में वृद्धि के लिए लक्ष्य स्वयं निर्धारित कर सकते हैं ताकि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण में वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम 20% की वृद्धि प्राप्त की जा सके; जिसका उद्देश्य 5 वर्ष अर्थात् 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उपलब्ध कराया जानेवाला ऋण दुगुना करना है।
- 1.3 लघु उद्यम क्षेत्र के सभी हिस्सों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -

(क) लघु उद्यम क्षेत्र हेतु नियत कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपये तक का निवेश हो, तथा ऐसे माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में 2 लाख रुपये तक का निवेश हो, को दिया जाना चाहिए;

(ख) लघु उद्यम क्षेत्र के लिए नियत कुल अग्रिम का 20% ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 5 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक हो; तथा माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में किया गया निवेश 2 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक हो, को दिया जाना चाहिए। (इस तरह लघु उद्यम अग्रिमों का 60% माइक्रो उद्यमों को जाना चाहिए।

2. विदेशी बैंकों के लिए निर्धारित लक्ष्य

2.1.1 विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण बढ़ाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम (जिनमें लघु उद्यम क्षेत्र शामिल है) में समायोजित निवल बैंक ऋण का 32% या तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, शामिल होना चाहिए।

2.1.2 विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित किये जाने वाले 32% लक्ष्य की समग्र सीमा में ही लघु उद्यम क्षेत्र को देय अग्रिम समायोजित निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, नहीं होना चाहिए।

2.1.3 लघु उद्यम क्षेत्र के सभी हिस्सों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -

(क) लघु उद्यम क्षेत्र हेतु नियत कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत ऐसे माइक्रो विनिर्माण)

उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपये तक का निवेश हो, तथा ऐसे

माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में 2 लाख रुपए तक का निवेश हो, को

दिया जाना चाहिए।

(ख) लघु उद्यम क्षेत्र के लिए नियत कुल अग्रिम का 20% ऐसे माइक्रो (विनिर्माण)

उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 5 लाख रुसे अधिक और 25

लाख रु तक हो ; तथा माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में किया गया निवेश 2

लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक हो, को दिया जाना चाहिए। (इस

तरह लघु उद्यम अग्रिमों का 60% माइक्रो उद्यमों को जाना चाहिए।

3. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को निर्धारित लक्ष्य से कम ऋण देने पर विदेशी बैंकों द्वारा सिडबी में जमा की जाने वाली राशि

3.1 जिन विदेशी बैंकों ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए निर्धारित लक्ष्य / उप-लक्ष्य से कम ऋण दिए हैं उन्हें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा स्थापित किए जानेवाले छोटे उद्यम विकास निधि (एसईडीएफ) में या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जानेवाले प्रयोजनों के लिए अंशदान करना होगा।

- 3.2 ऐसे आबंटन के प्रयोजन के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च माह के सूचना देनेवाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संबंध में प्राप्त स्तर को हिसाब में लिया जाएगा।
- 3.3 एसइडीएफ की आधारभूत निधि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित की जाएगी। जमाराशियों की अवधि तीन वर्ष या रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारितानुसार होगी। आधारभूत निधि का 50 प्रतिशत अंशदान यथानुपातिक आधार पर उन विदेशी बैंकों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए निर्धारित एएनबीसी के 32 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम ऋण दिए हों। आधारभूत निधि का शेष 50 प्रतिशत अंशदान यथानुपातिक आधार पर उन विदेशी बैंकों द्वारा किया जाएगा जिनके छोटे उद्यम क्षेत्र और निर्यात क्षेत्र को दिए गए ऋण की कमी कुल मिलाकर एएनबीसी के क्रमशः 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, रही हो। तथापि, विदेशी बैंकों द्वारा किया जानेवाला अंशदान विदेशी बैंक के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के निर्धारित लक्ष्य / उप-लक्ष्य की प्राप्ति में आई कमी की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 3.4 सिडबी / या ऐसी अन्य कोई संस्था जिसका निर्धारण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा, निधियों की आवश्यकता पड़ने पर एक माह पूर्व सूचना देकर विदेशी बैंकों को अंशदान करने के लिए कहेगी।
- 3.5 विदेशी बैंकों के अंशदान पर ब्याज दरें, जमाराशियों की अवधि आदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
- 3.6 विभिन्न प्रयोजनों के लिए विनियामक क्लियरेंस / अनुमोदन देते समय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना एक विचारणीय मद होगी।

(एएनबीसी या तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि (भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा समय समय पर यथापरिभाषित) की गणना पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया राशि के संदर्भ में की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए बकाया एफसीएनआर (बी) और एनआरएनआर जमाशेषों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के प्रयोजन के लिए एएनबीसी की गणना करने के लिए अब घटाया नहीं जाएगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के प्रयोजन के लिए एएनबीसी का मतलब है एनबीसी प्लस एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बाँडों में बैंकों द्वारा किया गया निवेश। भारत सरकार द्वारा जारी पुनर्पूँजीकरण बाँडों में बैंकों द्वारा किया गया निवेश एएनबीसी की गणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा। दिनांक 30.4.07 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं.प्लान.बीसी.84/04.09.01/2006-07की तारीख को, एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बाँडों में बैंकों द्वारा किए गए मौजूदा निवेश को एएनबीसी की गणना के लिए 31 मार्च 2010 तक हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

तथापि, एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बांडों में बैंकों द्वारा किए गए नए निवेश को इस प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों, भले ही उन्हें अनुसूची 8-तुलनपत्र में मद I(vi) - "अन्य" में "निवेश" के अंतर्गत दिखाया गया हो, को प्राप्त न करने के बदले नाबार्ड / सिडबी, जैसी भी स्थिति हो, में रखी गई जमाराशियों को एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बांडों में किया गया निवेश नहीं माना जाएगा। तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि की गणना करने के प्रयोजन के लिए बैंक वर्तमान एक्सपोजर प्रणाली का उपयोग करें। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों के प्रयोजन के लिए अंतर-बैंक एक्सपोजर को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।)

खंड IV

लघु उद्यम क्षेत्र को उधार देने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश / अनुदेश

1. आवेदनों का निपटान

लघु उद्योग के लिए 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी आवेदनों का निपटान दो सप्ताह में हो जाना चाहिए तथा 5 लाख रुपए तक की राशि वाले आवेदनों का 4 सप्ताह के भीतर, बशर्ते कि ऋण आवेदन सभी तरह से पूरे भरे हों तथा उनके साथ एक "चेक लिस्ट" हो ।

2. संपार्श्विक

संपार्श्विक जमानत प्राप्त करने हेतु सभी लघु उद्योग (विनिर्माण या उत्पादन और सेवाएं प्रदान करना दोनों) के उधार खातों के लिए सीमा 5 लाख रुपए है । लघु उद्योग इकाइयों का अच्छा रिकार्ड तथा वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक, ऋण हेतु संपार्श्विक अपेक्षाओं में छूट की सीमा को 25 लाख रुपए तक बढ़ा सकता है (उचित प्राधिकारी के अनुमोदन से) । एमएसई क्षेत्र (उत्पादन और सेवा उद्यम दोनों) को केवीआईसी के प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित इकाइयों सहित, सभी नए ऋण देने के लिए बिना संपार्श्विक 5 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने संबंधी अनुदेश दोहराए गए हैं।

3. संमिश्र ऋण

बैंकों द्वारा 1 करोड़ रु तक की संमिश्र ऋण सीमा स्वीकृत की जा सकती है ताकि लघु उद्योग के उद्यमी एक ही स्थान पर अपनी कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण अपेक्षाओं का उपयोग कर सकें।

4. लघु और मध्यम उद्यम की विशेषीकृत शाखाएं

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषीकृत लघु उद्योग शाखा खोलें । साथ ही, बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे 60% से अधिक लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिम वाली अपनी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं ताकि वे समग्र रूप से इस क्षेत्र को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु और अधिक विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाएं खोल सकें । लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण में वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित पॉलिसी पैकेज के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक लघु उद्यमों की अधिकता वाले पहचाने गये समूहों / केन्द्रों में विशेषीकृत लघु और मध्यम उद्यम शाखाएं सुनिश्चित करेंगे ताकि उद्यमी¹⁰ आसानी से बैंक ऋण ले सकें तथा बैंक कार्मिक

आवश्यक विशेषज्ञता विकसित कर सकें। विद्यमान विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं को लघु और मध्यम उद्यम शाखाओं के रूप में पुनःनामित किया जाए। हालांकि उनकी महत्वपूर्ण सक्षमता लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को वित्त और अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु उपयोग में लायी जाएगी, उनके पास अन्य क्षेत्रों / उधारकर्ताओं को वित्त / अन्य सेवाएं प्रदान करने का परिचालन संबंधी लचीलापन रहेगा।

5. विलंबित भुगतान

लघु उद्योग और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज से संबंधित संशोधन अधिनियम, 1998 के अंतर्गत एमएसएमइ इकाइयों को विलंबित भुगतान की देख-रेख के लिए दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ यह तय करता है कि

(क) विक्रेता और क्रेता के बीच समझौता 120 दिन से अधिक न हो

(ख) 120 दिन से अनधिक सहमत अवधि के बाद विलम्ब के लिए क्रेताओं द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की मूल उधार दर का 1 1/2 गुणा ब्याज का भुगतान किया जाए। साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विशेषतः एमएसएमइ से खरीद से संबंधित भुगतान बाध्यता की पूर्ति हेतु बड़े उधारकर्ताओं के लिए समग्र कार्यकारी पूंजी सीमाओं के भीतर उप-सीमाएं निर्धारित करें।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमइडी), 2006 लागू होने के बाद

लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के लिए विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1998 के

वर्तमान प्रावधानों को मजबूत किया गया है जो निम्नानुसार हैं :

- (i) यदि क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व क्रेता द्वारा लिखित रूप में भुगतान करना या, यदि कोई समझौता नहीं हुआ हो तो नियत दिन से पूर्व भुगतान करना। विक्रेता और क्रेता के बीच हुए समझौते की अवधि 45 दिन से अधिक नहीं होगी।
- (ii) यदि क्रेता आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान नहीं कर पाया तो वह राशि पर नियत दिन या निर्धारित तारीख से रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुणा चक्रवृद्धी ब्याज, मासिक अंतराल सहित भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।
- (iii) आपूर्तिकर्ता द्वारा माल या सेवा की आपूर्ति के लिए क्रेता उक्त (ii) में सूचित ब्याज के भुगतान हेतु बाध्य होगा।
- (iv) देय राशि में विवाद होने पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित माइक्रो और लघु उद्यम सुविधा सेवा परिषद से संपर्क किया जाएगा।

**6. रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास पर दिशा-निर्देश
(कोहली कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर)**

परिभाषा के अनुसार किसी इकाई को तब रुग्ण माना जाएगा जब इकाई का कोई उधार खाता छः माह से अधिक अवधि के लिए अवमानक रहता हो या पूर्व लेखा वर्ष के दौरान उनके निवल मूल्य के 50% तक संचित नकद हानि के कारण निवल मूल्य में हास हुआ हो तथा कम से कम दो वर्ष के लिए इकाई वाणिज्य उत्पादन से जुड़ी हो। उक्त मानदंड से बैंक प्रारंभिक अवस्था में ही रुग्णता पहचान सकेंगे और इकाई के पुनर्गठन हेतु सुधारात्मक उपाय कर सकेंगे। दिशा-निर्देशों के अनुसार इकाई का संभाव्य स्म से अर्थक्षम / अर्थक्षम घोषित करने की तारीख से छः माह के भीतर पुनर्वास पैकेज को पूर्णतः कार्यान्वित किया जाना चाहिए। पुनर्वास पैकेज को पहचानने और कार्यान्वित करने की इस छः माह की अवधि के दौरान बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे "धारण परिचालन" करें ताकि रुग्ण इकाई से कम से बिक्री आय की जमाराशि तक नकदी ऋण खाते में निधियां आहरित कर सकें। संभाव्य स्म से अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्गठन हेतु राहत और रियायतों के लिए व्यापक मानदंड निम्नानुसार हैं :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (i) कार्यशील पूंजी पर ब्याज से 1.5% | वर्तमान निर्धारित / मूल उधार दर |
| (ii) निधिक ब्याज मियादी ऋण | कम ब्याज जहाँ लागू हो
ब्याज रहित |
| (iii) कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण कम | वर्तमान निर्धारित/मूल उधार दर से 1.5% |
| (iv) मीयादी ऋण 2% से | ब्याज लगाया जायेगा, जहाँ लागू हो
ब्याज में रियायतें डॉक्यूमेंट रेट से नीचे |
| (v) आकस्मिकता ऋण सहायता दर | अधिक न दी जाए (अत्यंत लघु/विकेन्द्रित क्षेत्र
इकाइयों के मामले में 3% से अधिक नहीं)
कार्यशील पूंजी सहायता के लिए रियायती |

कोहली समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की सूचना सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक को देते हुए दिनांक 16 जनवरी 2002 को परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएनएफएस.बीसी.51 06.04.01/2001-02 जारी किया गया था।

7. राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति

सूण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु समन्वय की समस्याओं से निपटने के लिए सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समितियाँ गठित की गई हैं । इन समितियों की बैठकें भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संबंधित राज्य सरकार के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में की जाती हैं । यह समिति एक तरफ राज्य सरकार के अधिकारियों और राज्य स्तरीय संस्थानों तथा दूसरी तरफ मीयादी ऋण संस्थानों और बैंकों के बीच पर्याप्त आदान-प्रदान हेतु उपयोगी मंच उपलब्ध कराता है । यह उन इकाइयों को कार्यकारी पूंजी स्वीकृत करने पर कड़ी निगरानी रखता है जिन्हें एसएफसी द्वारा मीयादी ऋण उपलब्ध कराया गया हो, विशेष योजनाओं जैसे राज्य सरकार की मार्जिन मनी योजना , सिडबी की राष्ट्रीय ईक्विटी निधि योजना का कार्यान्वयन करता है तथा बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्योरे के आधार पर उद्योगों की सामान्य समस्याओं तथा लघु उद्योग में रूग्णता की समीक्षा करता है । दूसरों के साथ-साथ, स्थानीय राज्य स्तरीय लघु उद्योग संघ के प्रतिनिधियों को तिमाही आधार पर आयोजित एसएलआइआइसी की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है । एसएलआइआइसी की एक उप-समिति प्रत्येक रूग्ण लघु उद्योग इकाई की समस्याओं की जांच करती है तथा अपनी सिफारिश एसएलआइआइसी के मंच के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करती है ।

8. माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम के लिए अधिकार प्राप्त समिति का गठन

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में यूनियन वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में लघु और मध्यम उद्यमों पर अधिकार प्राप्त समितियाँ गठित की गई हैं । इन समितियों में राज्य स्तरीय बैंकर समिति संयोजक के प्रतिनिधि, दो बैंकों, जिनका राज्य में लघु और मध्यम उद्यम को वित्तपोषण में सर्वाधिक हिस्सा हो, के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, सिडबी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि, राज्य सरकार उद्योग के निदेशक, राज्य में लघु और मध्यम उद्यम / लघु उद्योग संघ के एक या दो वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि तथा एसएफसी/एसआइडीसी से एक वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे । इस समिति की बैठक नियत अवधि पर होगी तथा लघु और मध्यम उद्यम के वित्तपोषण में हुई प्रगति और सूण लघु उद्योग /मध्यम उद्यम इकाइयों के पुनर्वास की भी समीक्षा करेगी । यह क्षेत्र को सहज ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हों, के निवारण हेतु अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकार के साथ समन्वय करेगी । ये समितियाँ समूह / जिला स्तर पर ऐसी ही समितियाँ गठित करने की आवश्यकता का निर्णय लेंगी ।

9. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम हेतु ऋण पुनर्गठन तंत्र

- i. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार बढ़ाने हेतु माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के भाग के रूप में रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाइयों के लिए एक ऋण पुनर्गठन तंत्र बनाया गया है तथा इसकी सूचना सभी वाणिज्य बैंकों को दिनांक 8.9.2005 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं. 34/21.04.132/2005-06 द्वारा दी गई । ये विस्तृत दिशा-निर्देश सभी पात्र माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के ऋण का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करने हेतु जारी किए गए हैं । ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू होंगे जो अर्थक्षम या संभाव्य रूप से अर्थक्षम हैं :

क) सभी गैर निगमित लघु और मध्यम उद्यम चाहे बैंकों को अति देय राशि का स्तर जो भी हो ।

ख) सभी निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम जिन्हें एक ही बैंक से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध

हैं, चाहे बैंकों को अति देय राशि का स्तर जो भी हो ।

ग) सभी निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम जिनका बहुविध/संघीय बैंकिंग व्यवस्था के

अंतर्गत निधिक और गैरनिधिक बकाया 10 करोड़ रुपए तक हो ।

घ) ऐसे खाते जिनमें जान-बूझकर की गई चूक, कपट और धांधली हो, इन दिशा-निर्देशों के

अंतर्गत पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

ड) बैंकों द्वारा "हानि आस्तियां" के रूप में वर्गीकृत खाते पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

सभी निगमित लघु और मध्यम उद्यम जिनका निधिक और गैरनिधिक बकाया 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक हो, के लिए बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग ने दिनांक 10 नवम्बर 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 45/21.04.132/2005-06 द्वारा अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

- ii) रुग्ण एमएसइ के पुनर्वास के लिए कार्यदल की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 4 मई 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमइ. एंड एनएफएस.बीसी.सं. 102/06.04.01/2008-09 द्वारा सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि वे

क) निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऋण सुविधाएं प्रदान करने की नियंत्रक ऋण नीति, संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों / उद्यमों के पुनर्जीवन के लिए पुनर्गठन / पुनर्वास नीति तथा एमएसइ क्षेत्र के लिए अनर्जक ऋण की वसूली के लिए नॉन-डिसक्रीशनरी एक बारगी निपटान योजना लागू करें तथा

ख) एमएसइ क्षेत्र के समय पर तथा पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में सिफारिशें कार्यान्वित करें।

10. समूह दृष्टिकोण

i) लघु उद्योग के केन्द्रित विकास हेतु लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 60 समूहों की पहचान की है। सभी राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी वार्षिक ऋण योजनाओं में लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहचाने गए समूहों की ऋण आवश्यकताओं को दर्ज करें।

गांगुली समिति की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 4-सी (4-c)

दृष्टिकोण - अर्थात् ग्राहक केन्द्रित लागत नियंत्रण, प्रति बिक्री तथा जोखिमबद्ध अपनाकर पहचाने

गए माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम समूहों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से लघु उद्योग

क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण-सेवा दृष्टिकोण प्राप्त करें। उधार हेतु

समूह आधारित दृष्टिकोण निम्नलिखित में लाभकारी होगा :

क. सुपरिभाषित तथा मान्यता प्राप्त समूहों से व्यवहार ;

ख. जोखिम निर्धारण हेतु उपयुक्त जानकारी की उपलब्धता तथा

ग. उधारदाता संस्थानों की निगरानी।

समूहों को व्यापार रिकार्ड, प्रतिस्पर्धता तथा संवृद्धि संभावनाओं और /या अन्य समूह विशेष ब्योरे के

आधार पर चुना जा सकता है।

ii) वार्षिक नीति वक्तव्य 2007-08 के पैरा 157 में गवर्नर द्वारा की गई घोषणा के अनुसार दिनांक 8 मई 2007 के पत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.सं. 10416/06.02.31/2006-07 द्वारा सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एमएसएमइ क्षेत्र को ऋण प्रदान करने हेतु अपने संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करें, विशेषकर देश के विभिन्न भागों में 21 राज्यों में फैले 388 समूहों में जो युनाइटेड नेशन औद्योगिक विकास संघ (यूएनआइडीओ) द्वारा चुने गए हैं। यूएनआइडीओ द्वारा चुने गए एसएमइ समूहों की सूची अनुबंध III में दी गई है।

iii) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जन्म हेतु निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) तथा माइक्रो एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसइ-सीडीपी) के अंतर्गत 121 अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों में स्थित समूहों की सूची अनुमोदित की है। तदनुसार, देश के अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों में से माइक्रो और लघु उद्यमियों के समूहों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु उचित उपाय किये गये हैं।

11. भारत सरकार, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन माइक्रो और लघु उद्यमों को प्रौद्योगिकी के x प्लान से xi प्लान में उन्नयन के लिए ऋण सहलग्न पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)को जारी रखने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है :

- i) योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपए है ।
- ii) ऊपर क्रम संख्या (i) में बताई गई अधिकतम सीमा वाले माइक्रो और लघु उद्यमों की इकाइयों के लिए सब्सिडी की दर 15% है ।
- iii) स्वीकार्य सब्सिडी की गणना संयंत्र और मशीनरी के खरीदी मूल्य के आधार पर की जाएगी न कि लाभार्थी इकाई को दिए गए ऋण के आधार पर ।
- iv) सिडबी और नाबार्ड योजना की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां बनी रहेंगी ।

12. मध्यम और लघु (एमएसइ) उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए समिति

12.1 लघु उद्योग क्षेत्र को संस्थागत ऋण की पर्याप्तता और संबंधित पहलुओं की जाँच हेतु समिति की रिपोर्ट (नायक समिति)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्कालीन उप गवर्नर श्री पी.आर.नायक की अध्यक्षता में दिसंबर 1991 में लघु उद्योगों द्वारा वित्त प्राप्त करने से संबंधित मुद्दों की जाँच हेतु एक समिति गठित की गई थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट 1992 में प्रस्तुत की । समिति की सभी मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया है कि वे -

- i) लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्रामीण उद्योगों, अत्यन्त लघु उद्योगों और अन्य छोटी इकाइयों को उसी क्रम में वरीयता दें ।
- ii) उन लघु उद्योग इकाइयों को कार्यशील पूंजी ऋण सीमा उनकी अनुमानित वार्षिक आय के कम से कम 20% के आधार पर प्रदान करें ; जिनकी प्रत्येक इकाई की ऋण सीमा 2 करोड़ रु तक (अब 5 करोड़ रु हो गई है) हो ।
- iii) बॉटम-अप आधार पर वार्षिक ऋण बजट तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योग क्षेत्र की विधिसंगत आवश्यकताएँ पूरी होती हैं ।

- iv) लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी जिलों को एक ही काउंटर पर सभी सुविधाएँ प्रदान करने की योजना उपलब्ध कराई जाए ।
- v) यह सुनिश्चित करें कि ऋण स्वीकृत होने और उसके संवितरण में विलम्ब नहीं होना चाहिए । ऋण प्रस्ताव की ऋण सीमा में कमी / अस्वीकृति होने पर संदर्भ उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाना चाहिए ।
- vi) ऋण स्वीकृति के लिए बदले में आवश्यक जमाराशि पर जोर न दिया जाए ।
- vii) विशेषीकृत लघु उद्योग बैंक शाखाएँ खोलें अथवा बड़ी संख्या में लघु उद्योग उधार खातों वाली शाखाओं को लघु उद्योग विशेषीकृत शाखाओं में परिवर्तित करें ।
- viii) सगण लघु उद्योग इकाइयों की पहचान करें और उनमें सुधार के लिए तुरन्त आवश्यक कार्रवाई करें ।
- ix) लघु उद्योग उधारकर्ताओं के लिए मानकीकृत ऋण आवेदन फार्म तैयार करें ।
- x) विशेषीकृत शाखाओं में कार्यरत स्टाफ में स्थिति संबंधी परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए ।

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिनांक 2 मार्च 2001 को एक परिपत्र ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 61/06.02.62/2000-01 जारी किया जिसमें नायक समिति की सिफारिशों के बारे में सूचित किया गया।

12.2 लघु उद्योग को ऋण पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (कपूर समिति)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की सुपुर्दगी प्रणाली सुधारने तथा कार्य-विधि के सरलीकरण हेतु उपाय सुझाने के लिए एकल व्यक्ति उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष श्री एस.एल.कपूर, (आइ.ए.एस.,सेवानिवृत्त), भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय थे । समिति ने 126 सिफारिशों की जिनमें लघु उद्योग क्षेत्र को वित्त पोषण से संबन्धित व्यापक क्षेत्र शामिल हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन सिफारिशों की जांच की गई तथा 88 सिफारिशों को स्वीकर करने का निर्णय लिया गया जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं :

- (i) तदर्थ सीमाएं प्रदान करने हेतु शाखा प्रबंधकों को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना ;
- (ii) आवेदन फार्मों का सरलीकरण ;
- (iii) ऋण अपेक्षाओं के मूल्यांकन हेतु बैंकों को स्वयं के मानदंड निर्धारित करने की स्वतंत्रता;
- (iv) और अधिक विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाएं खोलना;
- (v) संमिश्र ऋण की सीमा में 5 लाख रु तक की वृद्धि (अब बढ़ाकर 1 करोड़ रु.)
- (vi) वसूली तंत्र का मजबूत करना ;

- (vii) बैंकों द्वारा पिछड़े राज्यों के प्रति अधिक ध्यान देना ;
- (viii) छोटी परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष कार्यक्रम ;
- (ix) बैंक द्वारा ग्राहक शिकायत तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाना तथा शिकायतों के निपटान और उनकी निगरानी की प्रक्रिया सरल बनाना ।

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिनांक 28 अगस्त 1998 को एक परिपत्र ग्राआरूवि.सं. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 22/06.02.31/98-99 जारी किया गया जिसमें कपूर समिति की सिफारिशों के बारे में सूचित किया गया।

12.3 लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट (गांगुली समिति)

गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक और ऋण नीति 2003-04 की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार डॉ. ए.एस.गांगुली की अध्यक्षता में "लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर कार्यकारी दल" का गठन किया गया ।

समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र के वित्तपोषण से संबंधित क्षेत्रों को व्यापक रूप से कवर करते हुए 31 सिफारिशों की हैं । भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों से संबंधित सिफारिशों की जाँच की गई जिसमें से अभी तक निम्नलिखित 8 सिफारिशें स्वीकार की गईं और बैंकों को उनके कार्यान्वयन हेतु दिनांक 4 सितंबर 2004 के परिपत्र ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस.बीसी.28/ 06.02.31 (डब्ल्यूजी) / 2004-05 द्वारा सूचित किया गया जो निम्नानुसार है :-

- i) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाना ;
- ii) छोटे और अत्यंत लघु उद्योगों और उद्यमियों को सेवा देने वाले अग्रणी बैंकों द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के सफल कार्य मॉडल के व्यापक प्रचार के साथ-साथ विशिष्ट परियोजनाओं को प्रायोजित करना ;
- iii) पहाड़ी क्षेत्रों की दिक्कतों, बार-बार बाढ़ से परिवहन में बाधा आने जैसी कठिनाइयों को देखते हुए अपने वाणिज्य निर्णय के आधार पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को उच्चतर कार्यकारी पूंजी सीमा स्वीकृत करना ;
- iv) बैंकों द्वारा ग्रामीण उद्योग के उन्नयन तथा ग्रामीण कामगारों, ग्रामीण उद्योगों और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सुधार के लिए नए उपाय खोजना ;
- v) विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को निर्धारित लक्ष्य से कम ऋण देने के कारण सिडबी के पास जमा की गई शार्ट फाल की राशि की अवधि तथा उसके ब्याज दर ढाँचे में संशोधन ।

13. (i) केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2005 को घोषित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण में वृद्धि हेतु पॉलिसी पैकेज

माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने 10 अगस्त 2005 को लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता बढ़ाने हेतु एक पॉलिसी पैकेज की घोषणा की थी। पॉलिसी पैकेज की कुछ विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :-

- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की परिभाषा
- बैंकों द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण हेतु अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना
- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋणों की लागत को युक्तियुक्त बनाने के उपाय
- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को औपचारिक ऋण प्रदान करने में वृद्धि के उपाय
- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को वित्तपोषण हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण
- रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अधिकारप्राप्त समितियों का गठन
- उद्यम की क्रेडिट रेटिंग से सहलग्न करके ऋण की लागत के साथ पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपनाकर माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋणों की लागत को युक्तिमुक्त बनाने के उपाय
- बैंकों की लेनदेन लागत को कम करने के लिए एसएमई प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए सिडबी द्वारा विकसित ऋण मूल्यांकन और रेटिंग टूल (कार्ट) जोखिम मूल्यांकन मॉडेल (रैम) और व्यापक रेटिंग मॉडेल से लाभ उठाने पर बैंकों द्वारा विचार किया जाना
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा लागू की गई क्रेडिट रेटिंग योजना के अन्तर्गत ख्यातिप्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के माध्यम से बैंकों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों की रेटिंग कराने पर विचार किया जाना
- बैंकों के बोर्डों द्वारा तैयार नीति अनुदेशों का व्यापक प्रचार तथा पहुँच आसान बनाना तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / निर्देशों को संबंधित बैंक तथा सिडबी की वेबसाइट में प्रदर्शित करने के साथ-साथ बैंक शाखाओं में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना।

ii) पॉलिसी घोषणाओं के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रमुख अनुदेश

केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित पॉलिसी पैकेज के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रमुख अनुदेश निम्नानुसार हैं :

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एसएमइ के निधियन हेतु अपने लक्ष्य निर्धारित करें ताकि वे एसएमइ को ऋण में वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम 20% की वृद्धि प्राप्त कर सकें। उद्देश्य यह है कि वर्ष 2009-10 तक अर्थात् 5 वर्ष की अवधि में एसएमइ क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता दुगुनी अर्थात् 2004-05 के 67,600 करोड़ रुपए से बढ़कर 2009-10 तक 135,200 रुपए हो जाए।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उद्यम की क्रेडिट रेटिंग के साथ सहलग्न ऋण की लागत के साथ एक पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपनाएं।
- सभी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित प्रति वर्ष अपनी प्रत्येक अर्ध शहरी/शहरी शाखाओं में कम से कम 5 नए लघु /मध्यम उद्यमों को औसतन ऋण कवर उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त प्रयास करें।
- बैंक लघु उद्यम की प्रधानता वाले समूहों/केन्द्रों में विशेषीकृत एसएमइ शाखाएं खोलना सुनिश्चित करें ताकि उद्यमियों को आसानी से बैंक ऋण प्राप्त हो जाए।

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2005 का ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस बीसी.सं.31/06.02.31/2005-06 तथा दिनांक 25 अगस्त 2005 का ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 35/06.02.31/2005-06 के परिपत्र जारी किए गए हैं।

14. भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड ने माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए बैंक प्रतिबद्धता की संहिता तैयार की है। यह स्वैच्छिक संहिता है जो बैंको द्वारा, जब वे माइक्रो लघु और मध्यम उद्यमों से संव्यवहार करते हैं, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 में परिभाषित किए गए अनुसार, अपनाए जाने के लिए बैंकिंग संव्यवहार के न्यूनतम मानक तय करती है। यह माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को संरक्षण प्रदान करती है और यह बैंकों को यह बताती है कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ संव्यवहार करते समय उनके दैनिक परिचालन में और वित्तीय समस्याओं की घड़ी में बैंकों से क्या अपेक्षा की गई है।

यह संहिता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियामक और पर्यवेक्षी अनुदेशों को न तो परिवर्तित करती है और न ही अधिक्रमित करती है, बल्कि यह रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/दिशा निर्देशों का पालन करती है।

14.1. बीसीएसबीआई संहिता के उद्देश्य

यह संहिता इसलिए तैयार की गई है कि यह:-

क) सक्षम बैंकिंग सेवाओं तक माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की पहुंच को आसान बनाने के लिए उन्हें एक सकारात्मक बल प्रदान करती हैं ।

ख) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ लेनदेन करने में न्यूनतम मानक तय करके अच्छे और उचित बैंकिंग संव्यवहारों का प्रसार करती है ।

ग) पारदर्शिता बढ़ाती है ताकि सेवाओं से यथोचित रूप से क्या अपेक्षित है इसे भलिभांति समझा जा सके ।

घ) प्रभावी संप्रेषणीयता के जरिए कारोबार की समझ में सुधार लाती है ।

ड.) उच्चतर परिचालनगत मानकों को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा के जरिए बाजारी शक्तियों को प्रोत्साहित करती है ।

च) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों और बैंकों के बीच स्वच्छ और सौहार्द संबंध बढ़ाने के साथ-साथ बैंकिंग आवश्यकताओं के प्रति सामायिक और त्वरीत प्रतिसाद सुनिश्चित करती है ।

छ) बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को बढ़ाती है ।

संहिता का पूरा पाठ बीसीएसबीआई की वेबसाइट (www.bs.sbi.org.in) पर उपलब्ध है ।

लघु उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1722 (अ)- केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27), जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मदों को विनिर्दिष्ट करती है जिनकी लागत को उक्त अधिनियम के खण्ड 7 (1) (a) में वर्णित उद्यमों की दशा में संयंत्र एवं मशीनरी में विनिधान की गणना करते समय अपवर्जित किया जायेगा।

- (i) उपस्कर जैसे औजार, जिग्स, डाईयां, मोल्ड्स और रखरखाव के फालतू पुर्जे और उपभोज्य सामान की लागत;
- (ii) संयंत्र और मशीनरी का प्रतिष्ठापन;
- (iii) अनुसन्धान और विकास उपस्कर और प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर;
- (iv) राज्य बिजली बोर्ड के विनियम के अनुसार उद्यमों द्वारा प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन सेट और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर;
- (v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या राज्य लघु उद्योग निगम को संदत्त बैंक प्रभार और सेवा प्रभार;
- (vi) केबलों का प्रतिष्ठापन या उपापन, वायरिंग, बस बारों, विद्युत नियंत्रण पेनल (जो किसी मशीन पर चढ़ी न हो) आइल सर्किट ब्रेकर्स या सूक्ष्म सर्किट ब्रेकर्स जो संयंत्र और मशीनरी को विद्युत शक्ति देने के लिए या सुरक्षात्मक उपाय के लिए आवश्यक स्म से प्रयोग किया जाना है;
- (vii) गैस उत्पादक संयंत्र;
- (viii) परिवहन प्रभार (बिक्रय कर या मूल्य वर्धित कर और उत्पादन शुल्क को अपवर्जित करते हुए) स्वदेशी मशीन के लिए उनके उत्पादन के स्थान से उद्यम के स्थान तक;
- (ix) संयंत्र और मशीनरी के परिनिर्माण करने में तकनीकी ज्ञान के लिए प्रदत्त प्रभार;
- (x) ऐसी भंडारण टंकी जो कच्चा माल और तैयार उत्पाद का भंडारण करते हों और जो उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित न हों, और
- (xi) अग्निशमन उपस्कर।

3. पैरा 1 के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की गणना करते समय उसके वास्तविक मूल्य को इस बात पर ध्यान दिये बिना कि चाहे मशीनरी नई है या पुरानी गणना में लिया जाएगा परन्तु तब जब कि मशीनरी आयातित है तो निम्नलिखित को, मूल्य की गणना करते समय सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात्

- (i) आयात शुल्क (विभिन्न खर्चों जैसे पतन से कारखाने के स्थल तक का परिवहन खर्च, पत्तन पर संदत्त डेमरेज प्रभार, को अपवर्जित करते हुए);
- (ii) नौवहन प्रभार;
- (iii) सीमा शुल्क निकासी प्रभार; और
- (iv) विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर ।

(फा.सं.4(1)/2006-एमएसएमई नीति)
जवाहर सरकार, अपर सचिव

वर्तमान सिडबी शाखाओं द्वारा कवर किए गए लघु और मध्यम उद्यमों की सूची

क्रम सं.	शाखा कार्यालय	लघु उद्योग समूहों की सं.	उत्पाद
1	हैदराबाद	5	छत के पंखे, इलैक्ट्रॉनिक सामान, फार्मास्युटिकल्स - दवाएँ, हैंड पंप सैट और ढलाई का कारखाना
2	पटना	19	तांबे और जर्मन के बर्तन
3	दिल्ली	19	स्टेनलेस स्टील के बर्तन और छुरी-कांटा आदि, रसायन, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, इलैक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, पैकेजिंग सामान, कागज उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, तार लगाना, धातु की वस्तुएँ बनाना, फर्नीचर, इलैक्ट्रो प्लेटिंग, ऑटो कम्पोनेन्ट, होजयरी, सिले-सिलाए वस्त्र, सेनिटरी फिटिंग
4	अहमदाबाद	17	फार्मास्युटिकल्स, डाय और इन्टरमीडिएट्स, प्लास्टिक का ढलाई का सामान, सिले-सिलाए वस्त्र, टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जे, हीरा प्रसंस्करण, मशीन औजार, ढलाई, स्टील के बर्तन, लकड़ी का सामान और फर्नीचर, कागज का उत्पाद, चमड़े की चप्पल -जूते, धुलाई का पाउडर और साबुन, संगमरमर के पट्टे, बिजली से चलने वाले पम्प, इलैक्ट्रॉनिक सामान, ऑटो पार्ट्स
5	सूरत	4	हीरा प्रसंस्करण, पावरलूम, लकड़ी का सामान और फर्नीचर, टेक्सटाइल मशीनरी

6	बड़ौदा	3	फार्मास्युटिकल - दवाएँ, प्लास्टिक प्रसंस्करण और लकड़ी का सामान और फर्नीचर
7	गोवा	1	फार्मास्युटिकल
8	फरीदाबाद	3	ऑटो कम्पोनेन्ट, इंजीनियरिंग समूह, पत्थर तोड़ना
9	गुड़गाँव	5	ऑटो कम्पोनेन्ट, इलैक्ट्रानिक सामान, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, सिले सिलाए वस्त्र, मेकॅनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
10	पारवानू (बादी)	1	इंजीनियरिंग उपस्कर
11	जम्मू	3	स्टील री-रोलिंग, तेल मिल, चावल मिल
12	जमशेदपूर	1	इंजीनियरिंग और गढ़ाई
13	बंगलूर	6	पावरलूम, इलैक्ट्रानिक सामान, सिले सिलाए वस्त्र, लाइट इंजीनियरिंग, चमड़ा उत्पाद
14	कोच्ची/एर्नाकुलम	3	रबड़ उत्पाद, पावरलूम, समुद्री आहार प्रसंस्करण
15	औरंगाबाद	2	ऑटो कम्पोनेन्ट और फार्मास्युटिकल दवाएँ
16	मुम्बई	11	इलैक्ट्रानिक सामान, फार्मास्युटिकल मूल दवाएँ, खिलौने (प्लास्टिक), सिले-सिलाए वस्त्र, होजयरी, मशीन औजार, इंजीनियरिंग उपस्कर, रसायन, पैकेजिंग सामग्री, हाथ के औजार, प्लास्टिक उत्पाद
17	नागपुर	6	पावरलूम, इंजीनियरिंग और गढ़ाई, स्टील फर्नीचर, सिले-सिलाए वस्त्र, हाथ के औजार, खाद्य प्रसंस्करण
18	पुणे	6	ऑटो कम्पोनेन्ट, इलैक्ट्रानिक सामान, खाद्य उत्पाद, सिले-सिलाए कपड़े फार्मास्युटिकल - दवाएँ, फाइबर ग्लास
19	ठाणे	2	फार्मास्युटिकल्स - दवाएँ और समुद्री आहार
20	भोपाल	1	इंजीनियरिंग उपस्कर

21	इन्दौर	4	फार्मास्युटिकल्स - दवाएँ, सीले-सिलाए वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेन्ट
22	लुधियाना	9	ऑटो कम्पोनेन्ट, बाइसिकल पुर्जे, होजयरी, सिलाई की मशीन के पुर्जे, औद्योगिक कसनी, हाथ के औजार, मशीन औजार, फोर्जिंग इलैक्ट्रोप्लेटिंग
23	जयपुर	7	जवाहरात और आभूषण, बाल बीयरिंग, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, खाद्य उत्पाद, परिधान, नींबू, मेकैनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
24	चेन्नै	3	ऑटो कम्पोनेन्ट, चमड़ा उत्पाद, इलैक्ट्रोप्लेटिंग
25	कोयम्बटूर	6	डीजल इंजिन, कृषि उपकरण, मशीन औजार, कास्टिंग और फोरजिंग, पावरलूम, वेट ग्राइंडिंग मशीन
26	तिरपुर	1	हौजयरी
27	नोएडा/गाजियाबाद	10	इलैक्ट्रानिक सामान, खिलौने, रसायन, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, परिधान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक उत्पाद, रसायन
28	कानपुर	3	जीनसाजी, सूती हौजयरी, चमड़ा उत्पाद
29	वाराणसी	4	शीटवर्क (ग्लोब लैम्प), पावरलूम, कृषि औजार, बिजली के पंखे
30	देहरादून	1	छोटे वैक्यूम बल्ब
31	नासिक (शीघ्र खुलेगा)	1	स्टील फर्नीचर
	कुल	149	

अनुबंध III

भारत में एसएमइ समूहों की सूची (यूएनआइडीओ द्वारा चुने गए)

क्रम सं.	राज्य	जिला	स्थान	उत्पाद
1	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	रायादुर्ग	सिले-सिलाए वस्त्र
2	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	चित्रदुर्ग	जीन्स के कपड़े
3	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	नगरी	पावरलूम
4	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	वेंटीमाल्टा, श्रीकालहस्ती, चुंदूर	तांबे के बर्तन
5	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	पूर्व गोदावरी	चावल मिल
6	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	राजमंदरी	ग्रेफाइट क्रूसिब्लस
7	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	पूर्व गोदावरी	कोयर और कोयर उत्पाद
8	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	राजमंदरी	अल्युमिनियम के बर्तन
9	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी	पूर्व गोदावरी (पूगो) और पश्चिम गोदावरी	रिफेक्टरी उत्पाद
10	आंध्र प्रदेश	गूंटूर	गूंटूर	पावरलूम
11	आंध्र प्रदेश	गूंटूर	गूंटूर	नींबू काल्सीनेशन
12	आंध्र प्रदेश	गूंटूर	मचेरला	लकड़ी का फर्नीचर
13	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	छत के पंखे
14	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	इलैक्ट्रॉनिक सामान
15	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	फार्मास्युटिकल्स - दवाएं
16	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मुशीराबाद	चमड़े की टेनिंग
17	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	हैंड पम्प सेट
18	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	फाउंड्री
19	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	सिरसिला	पावरलूम
20	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	मछलीपट्टनम	सोने की परत और इमिटेशन आभूषण
21	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	विजयवाड़ा	चावल मिल
22	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	चुंदूर, कवाडिगुडा, चारमिनार, विजयवाड़ा	स्टील फर्नीचर
23	आंध्र प्रदेश	करनूल	अडोनी	तेल मिल
24	आंध्र प्रदेश	करनूल	करनूल	बनावटी हीरे
25	आंध्र प्रदेश	करनूल, कडप्पा	करनूल (बनागनापलली, बेथामरेरिया, कोलीमीगुड़ला, कडप्पा)	पॉलिश किए स्लेब
26	आंध्र प्रदेश	प्रकासम	मरकापुरम	पत्थर की स्लेट
27	आंध्र प्रदेश	रंगा रेड्डी	बालनगर, जेड्डीमेटला और कुक्टपल्ली	मशीन औजार
28	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	पालसा	काजू प्रसंस्करण
29	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम, पूर्व गोदावरी	विशाखापट्टनम, काकीनाडा	समुद्री खाद्य

30	आंध्र प्रदेश	वारंगल	वारंगल	पावरलूम
31	आंध्र प्रदेश	वारांगल	वारांगल	ब्रासवेयर
32	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	पश्चिम गोदावरी	चावल मिल
33	बिहार	बेगुसराई	बरौनी	इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन
34	बिहार	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	खाद्य उत्पाद
35	बिहार	पटना	पटना	तांबे और जर्मन चांदी के बर्तन
36	छत्तीसगढ़	दुर्ग, राजनंदगाव, रायपुर	दुर्ग, राजनंदगाव, रायपुर	स्टील री-रोलिंग
37	छत्तीसगढ़	दुर्ग, रायपुर	दुर्ग, रायपुर	ढलाई और धातु की वस्तुएं बनाना
38	दिल्ली	उत्तरी पश्चिम दिल्ली	वजीरपुर, बादली	स्टेनलेस स्टील के बर्तन और छुरी-कांटा
39	दिल्ली	दक्षिण और पश्चिम दिल्ली	ओखला, मायापुरी	रसायन
40	दिल्ली	पश्चिम और दक्षिण दिल्ली	नरैना और ओखला	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
41	दिल्ली	पश्चिम और दक्षिण दिल्ली	नरैना और ओखला	इलेक्ट्रानिक सामान
42	दिल्ली	उत्तर दिल्ली	लॉरेन्स रोड	खाद्य उत्पाद
43	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	ओखला, वजीरपुर फ्लैटेड फैक्ट्रीस संकुल	चमड़ा उत्पाद
44	दिल्ली	दक्षिण, पश्चिम दिल्ली	ओखला, मायापुरी, आनंद पर्वत	मेकैनिकल इंजीनियरिंग उपकरण
45	दिल्ली	पश्चिम, दक्षिण, पूर्व दिल्ली	नरैना, ओखला, पतपरगुज	पैकेजिंग सामान
46	दिल्ली	पश्चिम और दक्षिण दिल्ली	नरैना और ओखला	कागज उत्पाद
47	दिल्ली	पश्चिम और दक्षिण दिल्ली	नरैना उद्योग नगर और ओखला	प्लास्टिक उत्पाद
48	दिल्ली	पश्चिम, दक्षिण, उत्तर-पश्चिम दिल्ली	नरैना, ओखला, शिवाजी मार्ग, नजाफगढ़ मार्ग	रबड़ उत्पाद
49	दिल्ली	उत्तर पूर्वी दिल्ली	शहादरा और विश्वासनगर	तार लगाना
50	दिल्ली	पश्चिम और उत्तर पश्चिमी	मायापुरी और वजीरपुर	धातु की वस्तुएं बनाना
51	दिल्ली	पश्चिम और उत्तर पूर्वी	किर्तीनगर और तिलक नगर	फर्नीचर
52	दिल्ली	उत्तर पूर्वी दिल्ली	वजीरपुर	इलेक्ट्रो प्लेटिंग
53	दिल्ली	दक्षिण, पश्चिम, उत्तरी पश्चिम और उत्तर पश्चिमी	ओखला, मायापुरी, नरैना, वजीरपुर बदली और जी.टी.करनल रोड	ऑटो कम्पोनेन्ट

54	दिल्ली	उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्व दिल्ली और दक्षिण	शाहदरा, गांधीनगर, ओखला और मैदानगड़ी	होज़यरी
55	दिल्ली	दक्षिण और उत्तर पूर्वी	ओखला और शाहदरा	सिले-सिलाए वस्त्र
56	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	ओखला	सेनिटरी फिटिंग
57	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	फार्मास्युटिकल्स
58	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	डाय और इंटरमीडिएट्स
59	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	प्लास्टिक की ढलाई का सामान
60	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	सिले-सिलाए वस्त्र
61	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जे
62	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद, धनडुका	हीरा प्रसंस्करण
63	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	मशीन उपकरण
64	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	ढलाई
65	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	स्टील के बर्तन
66	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	लकड़ी का उत्पाद और फर्नीचर
67	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	कागज के उत्पाद
68	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	चमड़े के चप्पल जूते
69	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	धुलाई का पावडर और साबुन
70	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	संगमरमर के पट्टे
71	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	बिजली से चलने वाले पम्प
72	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	इलेक्ट्रॉनिक सामान
73	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	ऑटो पुर्जे
74	गुजरात	अमरेली	सावरकुंडला	वजन और माप
75	गुजरात	अमरेली, जुनागढ़, राजकोट	अमरेली, जुनागढ़, राजकोट	तेल मिल मशीनरी
76	गुजरात	भावनगर	अलंग	जहाज तोड़ना
77	गुजरात	भावनगर	भावनगर	स्टील री-रोलिंग
78	गुजरात	भावनगर	भावनगर	मशीन उपकरण
79	गुजरात	भावनगर	भावनगर	प्लास्टिक प्रसंस्करण
80	गुजरात	भावनगर	भावनगर	हीरा प्रसंस्करण
81	गुजरात	गांधीनगर	कालोल	पावरलूम
82	गुजरात	जामनगर	जामनगर	तांबे के पुर्जे
83	गुजरात	जामनगर	जामनगर	लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर
84	गुजरात	मेहसाणा	विजापुर	सूती कपड़े की बुनाई
85	गुजरात	राजकोट	धोराजी, गोंडल, राजकोट	तेल मिल
86	गुजरात	राजकोट	जैतपुर	टेक्सटाइल छपाई
87	गुजरात	राजकोट	मोरवी और वाकानेर	फ्लोरिंग टाइल्स (क्ले)
88	गुजरात	राजकोट	मोरवी	दिवार की घड़ियां
89	गुजरात	राजकोट	राजकोट	डीजल इंजिन

90	गुजरात	राजकोट	राजकोट	इलेक्ट्रिक मोटर
91	गुजरात	राजकोट	राजकोट	ढलाई
92	गुजरात	राजकोट	राजकोट	मशीन उपकरण
93	गुजरात	राजकोट	राजकोट	हीरा प्रसंस्करण
94	गुजरात	सूरत	सूरत, चोरयासी	हीरा प्रसंस्करण
95	गुजरात	सूरत	सूरत	पावर लूम
96	गुजरात	सूरत	सूरत	लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर
97	गुजरात	सूरत	सूरत	टेक्सटाइल मशीनरी
98	गुजरात	सुरेन्द्रनगर	सुरेन्द्रनगर और थानगढ़	सेरेमिक्स
99	गुजरात	सुरेन्द्रनगर	छोटिला	सेनिटरी फिटिंग
100	गुजरात	वड़ोदरा	वड़ोदरा	फार्मास्युटिकल दवाएँ
101	गुजरात	वड़ोदरा	वड़ोदरा	प्लास्टिक प्रसंस्करण
102	गुजरात	वड़ोदरा	वड़ोदरा	लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर
103	गुजरात	बलसाड़	पारदी	डाय और इंटरमीडिएट्स
104	गुजरात	बलसाड़/भरुच	वापी/अंकलेश्वर	रसायन
105	गुजरात	बलसाड़/भरुच	वापी/अंकलेश्वर	फार्मास्युटिकल दवाएं
106	गोवा	दक्षिण गोवा	मार्गो	फार्मास्युटिकल
107	हरियाणा	अंबाला	अंबाला	मिक्सी और ग्राइंडर
108	हरियाणा	अंबाला	अंबाला	वैज्ञानिक उपकरण
109	हरियाणा	भिवानी	भिवानी	पावरलूम
110	हरियाणा	भिवानी	भिवानी	स्टोन क्रशिंग
111	हरियाणा	फरिदाबाद	फरिदाबाद	ऑटो पूर्जे
112	हरियाणा	फरिदाबाद	फरिदाबाद	इंजीनियरिंग क्लस्टर
113	हरियाणा	फरिदाबाद	फरिदाबाद	पत्थर तोड़ना
114	हरियाणा	गुड़गांव	गुड़गांव	ऑटो पूर्जे
115	हरियाणा	गुड़गांव	गुड़गांव	इलेक्ट्रॉनिक सामान
116	हरियाणा	गुड़गांव	गुड़गांव	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
117	हरियाणा	गुड़गांव	गुड़गांव	सिले-सिलाए कपड़ें
118	हरियाणा	गुड़गांव	गुड़गांव	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
119	हरियाणा	कैथल	कैथल	चावल मिल
120	हरियाणा	कर्नाल	कर्नाल	कृषि उपकरण
121	हरियाणा	कर्नाल, कुश्केत्र, पानिपत	कर्नाल, कुश्केत्र, पानिपत	चावल मिल
122	हरियाणा	पंचकुला	पिंजोर	इंजीनियरिंग उपकरण
123	हरियाणा	पंचकुला	पंचकुला	पत्थर तोड़ना
124	हरियाणा	पानिपत	पानिपत	पावरलूम
125	हरियाणा	पानिपत	पानिपत	शोडी यार्न
126	हरियाणा	पानिपत	समलखा	फाउंड्री
127	हरियाणा	पानिपत	पानिपत	सूती कातना

128	हरियाणा	रोहतक	रोहतक	नट्स/बोल्ड्स
129	हरियाणा	यमुना नगर	यमुना नगर	प्लाई वुड/ बोर्ड/ ब्लैक बोर्ड
130	हरियाणा	यमुना नगर	जगधरी	बर्तन
131	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु और सिरमौर	कुल्लु और सिरमौर	खाद्य प्रसंस्करण
132	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	दमतल	पत्थर तोड़ना
133	हिमाचल प्रदेश	सोलन	परवानु	इंजीनियरिंग उपस्कर
134	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	अनंतनाग	क्रिकेट बेट
135	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	जम्मू	स्टील रि-रोलिंग
136	जम्मू और कश्मीर	जम्मू / कथुवा	जम्मू /कथुवा	तेल मिल
137	जम्मू और कश्मीर	जम्मू / कथुवा	कथुवा	चावल मिल
138	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	श्रीनगर	टिम्बर जोयनरी / फर्नीचर
139	झारखंड	सारीकेला-खरसावन	आदित्यपुर	ऑटो पुर्जे
140	झारखंड	पूर्व सिंहभूम	जमशेदपुर	इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन
141	झारखंड	बोकारो	बोकारो	इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन
142	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	मशीन उपकरण
143	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	पावरलूम
144	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	इलेक्ट्रानिक सामान
145	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	सिले-सिलाए वस्त्र
146	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	लाइट इंजीनियरिंग
147	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	चमड़े के उत्पाद
148	कर्नाटक	बेलगांव	बेलगांव	फाउंड्री
149	कर्नाटक	बेलगांव	बेलगांव	पावरलूम
150	कर्नाटक	बेल्लरी	बेल्लरी	जीन्स गारमेंट
151	कर्नाटक	बिजापुर	बिजापुर	तेल मिल
152	कर्नाटक	धारवाड़	हुबली, धारवाड़	कृषि उपकरण और ट्रैक्टर ट्रेलर
153	कर्नाटक	गडग	गडग बेटगीरी	पावरलूम
154	कर्नाटक	गुलबर्गा	गुलबर्गा गडग बेल्ट	दाल मिल
155	कर्नाटक	हसन	आरसिकारा	कोयर और कोयर उत्पाद
156	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर	खाद्य उत्पाद
157	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर	रेशम
158	कर्नाटक	रायचुर	रायचुर	चमड़ा उत्पाद
159	कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	चावल मिल
160	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	मंगलूर	खाद्य उत्पाद

161	केरल	अलपुज्जा	अलपुज्जा	कोयर और कोयर उत्पाद
162	केरल	एनकुिलम	एनकुिलम	रबड़ उत्पाद
163	केरल	एनकुिलम	एनकुिलम	पावरलूम
164	केरल	एनकुिलम	कोच्ची	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण
165	केरल	कन्नूर	कन्नूर	पावरलूम
166	केरल	कोल्लम	कोल्लम	कोयर और कोयर उत्पाद
167	केरल	कोट्टायम	कोट्टायम	रबड़ उत्पाद
168	केरल	मल्लापुरम	मल्लापुरम	पावरलूम
169	केरल	पालक्काड	पालक्काड	पावरलूम
170	केरल		फैजलूर	पावरलूम
171	महाराष्ट्र	अहमदनगर	अहमदनगर	ऑटो पूर्जे
172	महाराष्ट्र	अकोला	अकोला	तेल मिल (सूती बीज)
173	महाराष्ट्र	अकोला	अकोला	दाल मिल
174	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	ऑटो पुर्जे
175	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	फार्मास्युटिकल्स - दवाएं
176	महाराष्ट्र	भंडारा	भंडारा	चावल मिल
177	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	चंद्रपुर	छत की टाइल्स
178	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	चंद्रपुर	चावल मिल
179	महाराष्ट्र	धुले	धुले	मिर्ची पाउडर
180	महाराष्ट्र	गडचिरोली	गडचिरोली	ढलाई
181	महाराष्ट्र	गडचिरोली	गडचिरोली	चावल मिल
182	महाराष्ट्र	गोंदिया	गोंदिया	चावल मिल
183	महाराष्ट्र	जलगांव	जलगांव	दाल मिल
184	महाराष्ट्र	जलगांव	जलगांव	कृषि औजार
185	महाराष्ट्र	जालना	जालना	इंजीनियरिंग
186	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर	डीजल इंजीन
187	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर	फाउंड्री
188	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	इचलकरंजी	पावरलूम
189	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	इलेक्ट्रॉनिक सामान
190	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	फार्मास्युटिकल - दवाएं
191	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	खिलौने (प्लास्टिक)
192	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	सिले-सिलाए कपड़े
193	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	होसियरी
194	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	मशीन उपकरण
195	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	इंजीनियरिंग उपस्कर
196	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	रसायन
197	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	पैकेजिंग सामग्री
198	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	हाथ के औजार
199	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	प्लास्टिक उत्पाद
200	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	पावरलूम
201	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन
202	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	स्टील फर्नीचर

203	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर (बुटीबोरी)	सिले-सिलाए वस्त्र
204	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	हाथ के औजार
205	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	खाद्य प्रसंस्करण
206	महाराष्ट्र	नांदेड़	नांदेड़	दाल मिल
207	महाराष्ट्र	नाशिक	मालेगांव	पावरलूम
208	महाराष्ट्र	नाशिक	नाशिक	स्टील फर्नीचर
209	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	ऑटो पुर्जे
210	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	इलेक्ट्रॉनिक सामान
211	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	खाद्य उत्पाद
212	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	सिले-सिलाए वस्त्र
213	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	फार्मास्युटिकल्स दवाएं
214	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	फाइबर कांच
215	महाराष्ट्र	रत्नागिरी	रत्नागिरी	कैन्ड और प्रसंस्कृत मछली
216	महाराष्ट्र	सांगली	सांगली	एमएस रॉड
217	महाराष्ट्र	सांगली	माधवनगर	पावरलूम
218	महाराष्ट्र	सातारा	सातारा	चमड़ा टैनिंग
219	महाराष्ट्र	सोलापुर	सोलापुर	पावरलूम
220	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सिंधुदुर्ग	काजू प्रसंस्करण
221	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सिंधुदुर्ग	कॉपर परत वाले वायर
222	महाराष्ट्र	थाने	भिवंडी	पावरलूम
223	महाराष्ट्र	थाने	कल्याण	कॉनफेक्शनरी
224	महाराष्ट्र	थाने	वाशिंग	रसायन
225	महाराष्ट्र	थाने	तारापुर, थाने-बेलापुर	फार्मास्युटिकल्स
226	महाराष्ट्र	थाने	थाने	समुद्री खाद्य
227	महाराष्ट्र	वरधा	वरधा	पिघलने वाला तेल
228	महाराष्ट्र	यवतमाल	यवतमाल	दाल मिल
229	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल	इंजीनियरिंग उपस्कर
230	मध्य प्रदेश	देवास	देवास	इंजीनियरिंग सामान
231	मध्य प्रदेश	पूर्व निमार	बृहनपुर	पावरलूम
232	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर	फार्मास्युटिकल दवाएं
233	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर	सिले-सिलाए वस्त्र
234	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर	खाद्य प्रसंस्करण
235	मध्य प्रदेश	इंदौर	पिथमपुर	ऑटो पुर्जे
236	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	सिले-सिलाए वस्त्र
237	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	पावरलूम
238	मध्य प्रदेश	उज्जैन	उज्जैन	पावरलूम
239	उड़ीसा	बलनगिर	बलनगिर	चावल मिल
240	उड़ीसा	बलसोर	बलसोर	चावल मिल
241	उड़ीसा	बलसोर	बलसोर	पावरलूम
242	उड़ीसा	कट्टक	कट्टक	चावल मिल
243	उड़ीसा	कट्टक	कट्टक	रसायन और फार्मास्युटिकल्स

244	उड़ीसा	कट्टक	कट्टक (जगतपुर)	इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन
245	उड़ीसा	कट्टक	कट्टक	मसाले
246	उड़ीसा	धेनकनल	धेनकनल	पावरलूम
247	उड़ीसा	गंजम	गंजम	पावरलूम
248	उड़ीसा	गंजम	गंजम	चावल मिल
249	उड़ीसा	कोरापत	कोरापत	चावल मिल
250	उड़ीसा	पूरी	पूरी	चावल मिल
251	उड़ीसा	सम्बलपुर	सम्बलपुर	चावल मिल
252	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर	चावल मिल
253	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर	शॉडी यार्न
254	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर	पावरलूम
255	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब	मंडी गोविंदगढ़	स्टील री-रोलिंग
256	पंजाब	गुरदासपुर	बटाला	मशीन उपकरण
257	पंजाब	गुरदासपुर	बटाला, गुरदासपुर	चावल मिल
258	पंजाब	गुरदासपुर	बटाला	कास्टिंग और फोरजिंग
259	पंजाब	जलंधर	जलंधर	खेल का सामान
260	पंजाब	जलंधर	जलंधर	कृषि उपकरण
261	पंजाब	जलंधर	जलंधर	हाथ के औजार
262	पंजाब	जलंधर	जलंधर	रबड़ का सामान
263	पंजाब	जलंधर	करतारपुर	लकड़ी का फर्नीचर
264	पंजाब	जलंधर	जलंधर	चमड़े का टेनिंग
265	पंजाब	जलंधर	जलंधर	चमड़े की चप्पल
266	पंजाब	जलंधर	जलंधर	शल्य उपकरण
267	पंजाब	कपूरथला	कपूरथला	चावल मिल
268	पंजाब	कपूरथला	फगवाड़ा	डिजल इंजीन
269	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	ऑटो उपकरण
270	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	बाइसिकल के पुर्जे
271	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	हौजयरी
272	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	सिलाई एम/सी उपकरण
273	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	औद्योगिक फास्टनर्स
274	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	हाथ के औजार
275	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	मशीन उपकरण
276	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	फोर्जिंग
277	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	इलेक्ट्रोप्लेटिंग
278	पंजाब	मोगा	मोगा	गेहूँ थ्रेशर
279	पंजाब	पटियाला	पटियाला	कृषि उपकरण
280	पंजाब	पटियाला	पटियाला	काटने के उपकरण
281	पंजाब	संगरूर	संगरूर	चावल मिल
282	राजस्थान	अलवर, एस.माधोपुर, भरतपुर	अलवर, एस.माधोपुर, भरतपुर बेल्ट	तेल मिल
283	राजस्थान	अजमेर	किशनगढ़	संगमरमर के पट्टे
284	राजस्थान	अजमेर	किशनगढ़	पावरलूम

285	राजस्थान	अल्वर	अल्वर	रसायन
286	राजस्थान	बिकानेर	बिकानेर	पापड़ मंगोड़ी, नमकीन
287	राजस्थान	बिकानेर	बिकानेर	प्लास्टर ऑफ पेरिस
288	राजस्थान	दौसा	महुआ	सेंड स्टोन
289	राजस्थान	गंगानगर	गंगानगर	खाद्य प्रसंस्करण
290	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	हीरे और जवाहरात
291	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	बॉल बेरिंग
292	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपकरण
293	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	खाद्य उत्पाद
294	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	वस्त्र
295	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	नींबू
296	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपकरण
297	राजस्थान	झालवर	झालवर	संगमरमर के पट्टे
298	राजस्थान	नागपुर	नागपुर	हाथ के औजार
299	राजस्थान	सिकर	शिखावटी	लकड़ी का फर्नीचर
300	राजस्थान	सिरोही	सिरोही	संगमरमर के पट्टे
301	राजस्थान	उदयपुर	उदयपुर	संगमरमर के पट्टे
302	तमिलनाडु	चैन्नै	चैन्ने	ऑटो पूर्जे
303	तमिलनाडु	चैन्ने	चैन्ने	चमड़े के उत्पाद
304	तमिलनाडु	चैन्ने	चैन्ने	इलेक्ट्रोप्लेटिंग
305	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	डीजल इंजीन
306	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	कृषि उपकरण
307	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	त्रिपुर	हौजरी
308	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	मशीन उपकरण
309	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	कास्टिंग और फोर्जिंग
310	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर,पालादम,कन्नम पालयम	पावरलूम
311	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	गिली पिसाई की मशीनें
312	तमिलनाडु	इरोड	सुरामपट्टी	पावरलूम
313	तमिलनाडु	कस्स	कस्स	पावरलूम
314	तमिलनाडु	मदुराई	मदुराई	सिले-सिलाए वस्त्र
315	तमिलनाडु	मदुराई	मदुराई	चावल मिल
316	तमिलनाडु	मदुराई	मदुराई	दाल मिल
317	तमिलनाडु	नमक्कल	थिस्चेनगोडे	रिग्स
318	तमिलनाडु	सालेम	सालेम	सिले-सिलाए वस्त्र
319	तमिलनाडु	सालेम	सालेम	स्टार्च और सेगो
320	तमिलनाडु	तंजवुर	तंजवुर	चावल मिल
321	तमिलनाडु	त्रिचुरापल्ली	त्रिचुरापल्ली	इंजीनियरिंग उपकरण
322	तमिलनाडु	त्रिचुरापल्ली	त्रिचुरापल्ली (ग्रामीण)	आर्टिफिशियल हीरे
323	तमिलनाडु	टुटिकोरिन	कोविलपति	माचिस
324	तमिलनाडु	वेल्लुर	अंबुर,वनियमबड़ी,पलार वेली	चमड़े का टैनिंग

325	तमिलनाडु	विरधुनगर	राजपलायम	सूती मिल (गेज कपड़ा)
326	तमिलनाडु	विरधुनगर	विस्धनगर	टिन कंटेनर
327	तमिलनाडु	विरधुनगर	शिवकासी	प्रिंटिंग
328	तमिलनाडु	विरधुनगर	विरधुनगर	माचिस और पटाखे
329	तमिलनाडु	विरधुनगर	श्रीवल्लीपुथुर	टोइलेट साबून
330	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	फाउंड्री
331	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	चमड़े के चप्पल-जूते
332	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
333	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़	ब्रास और गनमेटल की मूर्तियां
334	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़	ताले
335	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़	भवन हार्डवेयर
336	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	माऊ	पावरलूम
337	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	माऊ एमा	चमड़े के उत्पाद
338	उत्तर प्रदेश	बांदा	बांदा	पावरलूम
339	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	खुरजा	सिरेमिक्स
340	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	कांच के उत्पाद
341	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद
342	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	खिलौने
343	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	रसायन
344	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
345	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	वस्त्र
346	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
347	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	पैकेजिंग सामान
348	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	प्लास्टिक उत्पाद
349	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	गाजियाबाद	रसायन
350	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	गाजियाबाद	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
351	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	गाजियाबाद	पैकेजिंग सामान
352	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर	पावरलूम
353	उत्तर प्रदेश	हथरस	हथरस	शीटवर्क (ग्लोब लैम्प)
354	उत्तर प्रदेश	झांसी	झांसी	पावरलूम
355	उत्तर प्रदेश	कनौज	कनौज	परफ्यूमरी और एसेंशियल तेल
356	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर	सैडेलरी
357	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर	सूती हौजयरी
358	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर	चमड़े के उत्पाद
359	उत्तर प्रदेश	मिरठ	मिरठ	खेल उत्पाद
360	उत्तर प्रदेश	मिरठ	मिरठ	कैंची

361	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	मुरादाबाद	ब्रासवेयर
362	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर	चावल मिल
363	उत्तर प्रदेश	सहरानपुर	सरहानपुर	चावल मिल
364	उत्तर प्रदेश	सहरानपुर	सहरानपुर	लकड़ी का काम
365	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	शीटवर्क (ग्लोब लैम्प)
366	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	पावरलूम
367	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	कृषि उपकरण
368	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	बीजली का पंखा
369	उत्तरांचल	देहरादून	देहरादून	मिनियेचर वेक्यूम बल्ब
370	उत्तरांचल	हरिद्वार	रुकी	सर्वे उपकरण
371	उत्तरांचल	उधम सिंह नगर	रुद्रपुर	चावल मिल
372	पश्चिम बंगाल	बंकुरा	बरजोरा	मछली पकड़ने का हुक (जानकारी बाकी)
373	पश्चिम बंगाल	एचएमसी और बाली मुनिसिपल क्षेत्र	हावड़ा	फाउंड्री
374	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	बरगछिया, मानसिंहपुर, हंतल, शाहदतपुर और जगतबलावपुर	लॉक
375	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	एचएमसी और बाली मुनिसिपल क्षेत्र सिवोक रोड	स्टील रि-रोलिंग
376	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	दोमजुर	नकली और सच्चे जवाहरात
377	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	कूच बिहार - I, तुफानगंज, माथाबंधा, मेखलीगंज	सितलपत्ति/फर्नीचर
378	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	वेलींगटन, खानपुर	बिजली के पंखे
379	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सोवाबाजार, कोसीपुर	हौजयरी
380	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मेतियाबुर्ज, वार्ड नं. 138 से 141	सिले-सिलाए वस्त्र
381	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	तिलजला, टोपसिया, फूलबागान	चमड़े के उत्पाद
382	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	दासपारा (उल्टाडांगा), अहीरीतोला	दाल मिल
383	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	तलताला, लेनिन, सारणी	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपकरण
384	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बोबाजार, कालीघाट	लकड़ी के उत्पाद
385	पश्चिम बंगाल	नाडिया	मतियारी, धर्मादा, नाबाडविप	बेल/धातु के बर्तन
386	पश्चिम बंगाल	नाडिया	राजघाट	पावरलूम

387	पश्चिम बंगाल	पुख्रलिया	जालदा प्रोपर, पुख्रलिया, बेगुनकोदर और तानसी	हाथ के औजार
388	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना	कल्याणपुर, पुस्करपुर, धोपागच्छी	शल्य संबंधी उपकरण

MASTERCIRCREDITTOSME08:SALVI/PLNFS

मास्टर परिपत्र
माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं	परिपत्र सं.	तारीख	विषय	पैरा नं.
1.	ग्राआक्रवि.एसएमई ऍड एनएफएस सं.13657/06.02.31(पी)/2008-09	18.06.2009	पीएमइजीपी के अंतर्गत वित्तपोषित इकाईयों को संपार्श्विक रहित ऋण	धारा IV(2)
2.	ग्राआक्रवि.एसएमई ऍड एनएफएस सं.106/06.02.31(पी)/2008-09	25.05.2009	माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान कराना	9(ii)
3.	ग्राआक्रवि.एसएमई ऍड एनएफएस सं.102/06.04.01/2008-09	04.05.2009	माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान कराना	9(ii)
4.	ग्राआक्रवि.एसएमई ऍड एनएफएस सं.84ए/06.02.31(पी)/2008-09	20.01.2009	संपार्श्विक रहित ऋण - माइक्रो और लघु उद्यम	IV.2
5.	ग्राआक्रवि.एसएमई ऍड एनएफएस सं.76/06.02.31/2008-09	16.12.2008	माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान कराना	9(ii)
6.	ग्राआक्रवि.एसएमई ऍड एनएफएस सं.12372/06.02.31(पी)/2007-08	23.05.2008	ऋण सहलग्न पूंजी सब्सिडी योजना	11
7.	ग्राआक्रवि.एसएमई ऍड एनएफएस सं.11718/06.02.31(पी)/2008-09	12.08.2008	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम के पहचाने गए समूहों को ऋण प्रदान करना	IV.10(ii)
8.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.सं.10416/06.02.31 /2006-07	08.05.2007	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध	IV.10(ii)
9.	ग्राआक्रवि.सं.प्लान.बीसी.84/04.09.01/2006-07	30.04.2007	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिशा-निर्देश- संशोधित	1
10.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.सं.63/06.02.31 /2006-07	04.04.2007	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना-माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम,2006 लागू करना	1-1, IV, 13.6
11.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.सं.35/06.02.31/2005-06	25.08.2005	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज - केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा(निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों तथा क्षेत्राबैंकों के लिए)	IV, 13.5

12.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.सं.31/06.02.31/2 005-06	19.08.2005	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज - केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए)	IV, 13.5
13	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.सं.101/06.02.31/ 2004-05	20.05.2005	लघु उद्यम वित्तीय केन्द्रों (एसइएफसी) हेतु योजना	1.6.4, 4, 11.6
14.	ग्राआक्रवि.प्लान.बीसी.64/ 04.09.01/2004-05	15.12.2004	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - निर्धारित संस्थानों द्वारा जारी विशेष बांडों में निवेश	I.1, 1.1.1,12,1. 1.3
15.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.61/006.02.31 (डब्ल्यूजी)/2004-05	08.12.2004	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता पर कार्यकारी दल - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की बाध्यताओं में कमी के स्थान पर सिडबी का ब्याज दर	III.3.1, 3.5
16.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.43/06.02.31/200 4-05	26.10.2004	लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों द्वारा निवेश	II.2.1,2 2,2.3
17.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.28/06.02.31 (डब्ल्यूजी)/2004-05	04.09.2004	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता पर कार्यकारी दल	IV.13.3
18	ग्राआक्रवि.प्लान.बीसी.41/ 04.09.01/2003-04	03.11.2003	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का उधार - सिडबी में जमाराशियों की कमी	III.3.1
19.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.40/06.02.31/200 3-04	03.11.2003	लघु उद्योग हेतु ऋण सुविधाएं - बैंकों द्वारा लघु उद्योग को आगे उधार देने के प्रयोजन से एनबीएफसी को उधार	1.6.5
20.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.39/06.02.80/200 3-04	03.11.2003	लघु उद्योग को ऋण सुविधाएं - संपार्श्विक मुक्त ऋण	IV 2.4
21.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . 620/06.02.28(i)/2002 -03	11.09.2003	एसएसीबैठक - कार्य मदों का कार्यान्वयन - ब्याज दर - स्लैब आधारित	IV 5
22.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . 1/06.02.28(i)/2003- 04	01.07.2003	एसएसी बैठक कार्यबिंदुओं का कार्यान्वयन - समूहों की पहचान	IV.2.9 IV 13.3

23.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . 2292/06.02.28(i)/2003-04	13.06.2003	एसएसी बैठक- कार्य मर्दों का कार्यान्वयन - लघु उद्योग के लिए स्वयं निर्धारित लक्ष्य	III.1.1,2.1.1 2.1.2
24.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.24/06.02.77/2003-04	04.10.2002	लघु उद्योग को ऋण उपलब्ध कराना - ऋण आवेदनों के निपटान हेतु समय-सारणी	IV.2.2
25.	डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी. 74/22.01.001/2002	11.03.2002	सामान्य बैंकिंग शाखाओं का विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं में परिवर्तन	IV 2.6
26.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.58/06.02.80/2001-02	23.01.2002	संपार्श्विक रहित ऋण - लघु उद्योग	IV 2.4
27.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.57/06.04.01/2001-02	16.01.2002	रण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु दिशा-निर्देश	IV 2.8
28.	आईसीडी.सं.5/08.12.01/ 2000-01	16.10.2000	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता- मंत्रियों के समूह का निर्णय	IV 2.7
29.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.57/06.02.31/99-2000	02.02.2000	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अभिनियोजन	1.1.1, 1.1.2
30.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.89/06.02.31/98-99	14.06.1999	लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1998	IV 2.7
31.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.89/06.02.31/98-99	01.03.1999	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता- कार्यकारी पूंजी सीमाओं का अभिकलन	II 3.3
32.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.22/06.02.31(ii)/98-99	28.08.1998	लघु उद्योग पर उच्च स्तरीय समिति- कपूर समिति-सिफारिशों का कार्यान्वयन	IV 13.2
33.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.127/06.02.31/97-98	08.06.1998	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता	IV 5
34.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . सं.792/06.02.31/97-98	02.03.1998	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता - विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाएं खोलना	IV 2.6

35	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.89/06.02.31/97-98	19.02.1998	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अभिनियोजन	I 1.1, III 1..3,1.1.2
36.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.66/06.02.31/97-98	05.01.1998	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अभिनियोजन	III1.3,1.1, 1.1.2
37.	ग्राआक्रवि.प्लान.बीसी.74/ 04.09.01/96-97	11.12.1996	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य प्राप्ति में कमी	III4.1-4.4
38.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.23/06.06.12/94-95	01.09.1995	केवीआइ क्षेत्र को बैंक ऋण	I 1.5
39.	ग्राआक्रवि.प्लान.बीसी.38/ 04.09.09/94-95	22.09.1994	विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार	III 2.1.1,2.1.3
0.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.16/06.06.12/94-95	28.07.1994	केवीआइ क्षेत्र को बैंक ऋण	I 1.6
41.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.84/06.02.12/93-94	07.01.1994	केवीआइ क्षेत्र को बैंक ऋण - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का अग्रिम	I 1.5
42.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.99/06.02.31/92-93	17.04.1993	लघु उद्योग क्षेत्र को पर्याप्त संस्थागत ऋण की जांच हेतु तथा संबंधित पहलुओं पर समिति की रिपोर्ट	IV 13.1
43.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.45/पीएस.72/86	20.01.1986	विनिर्माण हेतु बाउट लीफ कारखानों को वित्त पोषण	I 1.9
44.	ग्राआक्रवि.पीएलएनएफएस . बीसी.44/पीएस.72/86	17.01.1986	पोतभंजन उद्योग को बैंक वित्त	I 1.8

MASTERCIRCREDITTOSME08:SALVI/PLN